भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 735
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोगों के मामले

735. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 60 प्रतिशत से अधिक मौतें गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होती हैं जिनमें मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर रोग शामिल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त मामलों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या भारत में प्रति व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की संख्या सबसे कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त मामलों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की अध्ययन रिपोर्ट "भारत: हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स" के अनुसार, भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का भार 1990 में 37.9% से बढ़कर 2016 में 61.8% हो गया है। कुल मृत्यु में प्रमुख एनसीडी का योगदान नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

रोग समूह का नाम	कुल मौतों में योगदान	
	1990	2016
सभी एनसीडी	37.9%	61.8%
मधुमेह	10.0*	23.1*
कैंसर	4.15%	8.3%
सीवीडी	15.2%	28.1%

* अशोधित मृत्यु दर (%)

विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है -

https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग एनपी-एनसीडी का अभिन्न अंग हैं। यह कार्यक्रम कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए बुनियादी ढांचे को सशक्त करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन और उचित स्तर की स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफरल के लिए जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत देश भर में 753 जिला एनसीडी क्लीनिक, 356 डे केयर सेंटर, 220 जिला हृदय देखभाल इकाइयां और 6238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

देश में एनएचएम के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के एक भाग के रूप में सामान्य एनसीडी की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्य एनसीडी अर्थात मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तीन सामान्य कैंसर अर्थात मुख, स्तन और सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए लक्षित किया जाता है। इन सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग आयुष्मान भारत - आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत सेवा प्रदायगी का एक अभिन्न अंग है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सामुदायिक स्तर पर कल्याण गतिविधियों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर एनसीडी के निवारक पहलू को सशक्त किया जाता है। एनसीडी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में एनसीडी से संबंधित स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, एफएसएसएआई के माध्यम से पोषण आहार को भी बढ़ावा दिया जाता है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान का क्रियान्वयन किया गया है तथा आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एनपी-एनसीडी एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार एनसीडी के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में विभिन्न स्तरों पर एनसीडी का निदान और उपचार उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए इलाज या तो निःशुल्क है या अत्यधिक सब्सिडी वाला है। प्रमुख एनसीडी का इलाज आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसी स्टोर कुछ अस्पतालों/संस्थानों में स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर दवाएं उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ): देश में मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, एनएमसी के पीजीएमईबी ने दिनांक 15.1.2024 को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ - 2023 (पीजीएमएसआर-2023) जारी किया है। एमडी (मनोचिकित्सा) में सीटें शुरू करने/बढ़ाने के लिए, पीजीएमएसआर-2023 ने ओपीडी की संख्या घटाकर प्रतिदिन 30 कर दी है, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 20% वृद्धि के साथ अधिकतम 2 पीजी छात्रों का वार्षिक प्रवेश शामिल है। इसी प्रकार, किसी मेडिकल कॉलेज में 2 सीटों के साथ एमडी (मनोचिकित्सा) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम आवश्यक बिस्तरों की संख्या 8 है, तथा 3 सीटों के लिए 12 बिस्तरों की आवश्यकता है, तथा 5 सीटों के लिए 20 बिस्तरों की आवश्यकता है।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में पीजी विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 पीजी विभागों को सशक्त करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है। मनोचिकित्सा विभागों के माध्यम से 22 एम्स में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में वर्णित उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और विशिष्ट परिचर्या सुविधाओं में मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के एक भाग के रूप में, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को देश के 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी दिशानिर्देशों के अनुसार, एक मनोचिकित्सक, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, एक मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, एक मनोरोग नर्स, एक सामुदायिक नर्स, एक निगरानी और मूल्यांकन अधिकारी और केस रजिस्ट्री सहायक और एक वार्ड सहायक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के कर्मचारी हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, जनशक्ति को विभिन्न डीएमएचपी इकाइयों में प्रशिक्षित किया जाता है। डीएमएचपी के घटकों में से एक है विशेषज्ञ और गैर-विशेषज्ञ संवर्गों जैसे चिकित्सा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

सरकार 2018 से तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों नामतः राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि कर रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्य उपयोग जनित विकारों (एमएनएस) पर परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 23.07.2024 तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक कॉलों का निपटारा किया गया है।

******